न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 97/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		मिथिलेश महतो पुत्र जनक महतो फर्म पूजा फास्ट फुड व नाश्ता हाउस भगवान महावीर कॉलोनी हड्डी मिल रोड जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः–
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार सुश्री महिमा जैन प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश भादू उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 12.06.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी मिथिलेश महतो पुत्र जनक महतो निवासी प्लॉट 180 गली नं.08 मिल्कमेन कॉलोनी पाल रोड जोधपुर फर्म पूजा फास्ट फूड व नाश्ता हाउस भगवान महावीर कॉलोनी हड्डी मिल रोड जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.03.2025 को जिला प्रवर्तन निरीक्षक मय निरीक्षक टीम कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा पूजा फास्ट फूड व नाश्ता हाउस भगवान महावीर कॉलोनी हड्डी मिल रोड जोधपुर की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक व अपना नाम मिथिलेश महतो पुत्र जनक महतो बताया एवं प्रतिष्ठान पर मौके पर 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों (भारत गैस) पाए गये जिनका उपयोग व्यवसायिक गतिविधियों हेतु किया जाना पाया गया। उक्त सिलेण्डरों के संबंध में प्रतिष्ठान संचालक द्वारा कोई भी विधिक दस्तावेज व कनेक्शन डायरी प्रस्तुत नहीं की गयी। मौके पर पाए गये 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार है:–

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	बी.पी.सी.एल	754617(s)	15.6 कि.ग्रा.	15.6 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
2.	बी.पी.सी.एल	489944(s)	15.4 कि.ग्रा.	15.5 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
3.	बी.पी.सी.एल	39886	16.4 कि.ग्रा.	18.0 कि.ग्रा.	1.6 कि.ग्रा.
4.	बी.पी.सी.एल	448609 (T)	15.8 कि.ग्रा.	15.8 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर श्री सुरेश गुप्ता पुत्र श्री डी.पी.गुप्ता मालिक नाकोडा गैस सर्विस जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार सुश्री महिमा जैन प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर वक्त जांच 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को व्यवसायिक गतिविधियों में उपयोग में लिया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग में लिया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश भादू ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त फर्म पर समोसा बनाने हेतु पत्थर व गोबर से निर्मित भट्टी में लकडी व कोयला का ईधन रूप मे ईस्तमाल किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मौकास्थल पर जब्त किये गये 04 घरेलु गैस सिलेण्डर पूर्णतया खाली थे जिनमें दो गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के भाई शेलैष कुमार द्वारा बी.पी.सी.एल. वाउचर नम्बर 521265971 उपभोक्ता क्रमांक 75779667 दिनांक 08.08.2016 नियमानुसार आवेदन कर कनैक्शनसुदा प्राप्त किये हुए है, तथा अन्य दो सिलेण्डर अप्रार्थी के भाई संतोष कुमार द्वारा बी.पी.सी.एल. वाउचर नम्बर 523045447 उपभोक्ता क्रमांक 77021185 द्वारा नियमानुसार प्राप्त किये हुए है। उक्त 04 सिलेण्डर अप्रार्थी के भाईयों द्वारा घरेलु कार्य हेतु भरवाने बाबत उसी दिन अप्रार्थी की दुकान पर रखा जाना बताया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता अनुसार उक्त जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के भाईयों के थे तथा फर्म पर भरे हुए गैस सिलेण्डर प्राप्त किये जाने हेतु रखे गए थे। अतः अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त सिलेण्डर अप्रार्थी के भाईयों के होने तथा उनके द्वारा उपयोग नहीं किया जाना बताया जाकर उक्त जब्तसूदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात नहीं किये जाने हेतु आग्रह किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा जब्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डर (एच.पी.सी.एल) को रिलीज करने हेतु निवेदन किया गया है।

हमने विभागीय पेरोकार व अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वक्त जांच प्रतिष्ठान पर 04 घरेलु गैस सिलेण्डर (एच.पी.सी.एल) का अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग में लिए जाना पाया गया, सिलेण्डरों का वजन जांचने पर मौका फर्द अनुसार तीन सिलेण्डर खाली पाये गये तथा एक सिलेण्डर में 1.6 किग्रा गैस पाई गई, जो कि घरेलु गैस का प्रतिष्ठान पर व्यवसायिक उपयोग किया जाना इंगित करता है। जब्त सिलेण्डरों के संबंध में जिला रसद अधिकारी प्रथम से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार एक साथ दोनों भाईयों द्वारा कुल 04 सिलेण्डर पुनर्भरण हेतु उक्त फर्म पर

अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर

रखना संदिग्धात्मक है। अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण किया जाना तथा व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना अपराध कारित करना सिद्ध करता है जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों (बी.पी.सी.एल) को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों (बी.पी.सी.एल) को राज्यसात कर नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर